राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 03/2018

GCMS No. 2018/0006

ललीता देवी पत्नी रामकिशन उम्र 54 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. सुनीता पत्नी विक्रम सिंह जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. ईशवंती पत्नी रामभरोस जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये भू–लैण्ड अधिकारी (तहसीलदार, खेतड़ी) तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 09–02–2023

–: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–10–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम रवां तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 163 में दर्ज खसरा नंबर 385 रकबा 0.92 है. में वादिया का 0.42 है. हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/4769 दिनांक 14.11.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

ललीता देवी

ब–ना–म

सुनीता आदि

वा बावत **खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **03/2018**

निर्णय दिनांक :– **09–02–2023**

वादिया की ओर से **श्री विश्वनाथ अग्रवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से **श्री पियूष सुरोलिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **09–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14–11–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–6" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner